

Recommendation No.-189- Allow third party inspection of internal installations

(Ref: <http://energy.bih.nic.in>)



ENERGY DEPT., GOVT. OF BIHAR

Designed and Developed by
NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Energy Dept., 8 Daroga Rai Path, Patna - 800 001.

Forms | Search Contacts | Tenders | BREDA Tenders | Useful Links ::

Site Index

- ✓ Home Page
- ✓ Overview
- ✓ Energy Sector
- ✓ Expenditures
- ✓ Acts and Rules
- ✓ Notice Board
- ✓ Documents
 - Allotments
 - Circulars
 - Notifications
 - Proceedings
 - Sanction Orders
 - Transfer Orders
- ✓ Best Practices NEW
- ✓ Scheme Info
- ✓ News Clippings
- ✓ Phone Directory
- ✓ Contact Details
- ✓ Your Feedback
- ✓ Asset Declaration

Total Hits: 240496



Bijendra Pd Yadav
Hon'ble Minister

Key Contacts

- Bijendra Prasad Yadav, Hon'ble Minister.
Tel: (0612)-2506224. Fax: (0612)-2506223.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Principal Secretary.
Tel: (0612)-2506210. Fax: 2506189. E-Mail: energy@bihar.gov.in
- Sri Vinodanand Jha, Deputy Secretary. Tel: (0612)-2506158.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Chairman-cum-Managing Director,
Bihar State Power Holding Company Ltd.
Tel: (0612)-2504036. Fax: 2504968. E-Mail: chairmanbseb@yahoo.co.in
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director,
Bihar State Power Generation Company Ltd.
Tel: (0612)-2504695. E-Mail: md.bspgcl@gmail.com
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director,
Bihar State Power Transmission Company Ltd. Tel: (0612)-2504442.
Fax: 2504968. E-Mail: md.bsptcl1@gmail.com, itbsptcl@gmail.com
- Sri Sandeep K. R. P., IAS, Managing Director,
South Bihar Power Distribution Company Ltd.
Tel: (0612)-2504045. E-Mail: md.sbpdc@gmail.com
- Sri R. Lakshmanan, IAS, Managing Director,
North Bihar Power Distribution Company Ltd.
Tel: (0612)-2504044. E-Mail: md.nbpdc@gmail.com
- Sri S.K.R. Pudukalkatti, IAS, Managing Director,



Latest updates ...

1. Advt: Nominations are being invited from eligible candidates for the post of Chairperson, BEREC. - 24-08-2015. NEW
2. Order: Regarding creation of post of Energy Advisor to Chief Minister. - 05.06.

Wednesday 24 February 2016 | 4:12:39 PM

Downloads

- Achievement Report for Financial Year 2011-12
- Agriculture Road Map :: Energy ::
- Renewable Energy Policy, 2011 - In English | Hindi
- Dedicated Feeder (Agri Road Map) - English | Hindi
- Application Format: Joining on Contract-basis.
- Application Format: For Solar Pumps.
- Rajiv Gandhi Grameen Viduyutikaran Yojana





Different Acts & Rules can be viewed by clicking on the links provided below:

<p>Electricity Act, 2003</p>	<p>Energy Conservation Act, 2001</p>	<p>Electricity Supply Code, 2007</p>	<p>R</p>
<p>BERC Fund Rules, 2011 (English)</p>	<p>BERC Fund Rules, 2011 (Hindi)</p>	<p>Budget Forms</p>	



The Bihar Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

20 PAUSH 1929(S)
(NO. PATNA 27) PATNA, FRIDAY, 10TH JANUARY 2008

BIHAR ELECTRICITY^[1] REGULATORY COMMISSION

BIHAR ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2007

Notification No. 10 /2007

dated 31.12.2007

No. BERC/Regl-6/2006/529 – In exercise of power conferred by Section 181(1) and 181(2) read with Section 50 and 43 (1), Section 44, Section 46, Section 47 (4) Section 56 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all powers enabling it in this behalf and also in compliance of the Ministry of Power, Govt. of India's (i) notification no. SO 790(E) dated 8th June, 2005 issuing "Electricity (Removal of difficulties) Order, 2005" for "Inclusions of measures to control theft of electricity in Electricity Supply Code", and (ii) notification no. SO 798(E) dated 9th June, 2005 issuing Electricity (Removal of Difficulties) Eight Order, 2005 for obtaining supply of electricity at single point from the distribution licensee by the Cooperative Group Housing Societies or by any person for their members or employees residing in the same premises, the Bihar Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Electricity Supply Code to govern supply and retail sale of electricity by the licensees and procedure thereof, the powers, functions, and obligations of the licensees and the right and obligations of the consumers and matter connected therewith and incidental thereto.

[1] Corrigendum vide Notification No. BERC-Regl-06/06-part-II/02/08 dt.24.04.08

CHAPTER NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	• Damage to Equipment at Consumer's Premises	30
	• Failure of Fuse / Supply	31
CHAPTER 6	WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES	
	• Wiring at Consumer's Premises	31
	• General Wiring Conditions	32
	Mains	32
	Switches and Fuses	32
	Balancing of Load	32
	Earthing	32
	Domestic Appliances	32
	Plugs	32
	• Apparatus Interfering with Licensee's System	33
	• A.C. Motor Installations	33
	• Consumer's Apparatus	33
	• Power Factor of Apparatus	33
	• Welding Transformers	33
	• Low Tension Shunt Capacitor	34
	• High Tension Consumers	35
	• Extra-High Tension Consumer	35
	• HT/ EHT Consumers	35
	• Inspection and Testing of Consumer's Installation	36
	• Extensions and Alterations	36
	• Access to Consumer's Premises	37
	• Rating of Installations	38
	• Parallel Operation with the Supply System of the Licensee	39
	• Harmonics	40
CHAPTER 7	SERVICE CONNECTION RELATED MATTERS	
	• Contract Demand	40
	• Procedure for Disconnection of Supply	41
	• Temporary Disconnection	41
	• Permanent Disconnection	43
	• Procedure for Reconnection	43
	• Change of Category	44
	• Transfer of Connection and Mutation of Names	45

CHAPTER NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
	• Hearing & Final Assessment	74
	• Appeal to Appellate Authority Against the Final Assessment Under Section 127 of the Act	75
	• Default in payment of assessed amount or instalments thereof	76
	• Theft of Electricity	76
	• Section 135 of the Act as amended	76
	• Section 138 - Interference with meters or works of licensee	78
	Procedure to be adopted by licensee for Inspection, Provisional Assessment, Hearing and Final assessment in case of theft of electricity under section 135 of the Act	
	• Procedure	79
	• Provisional Assessment and Notice to the Consumer	80
	• Hearing & Final Assessment	81
	• Compounding of Offence	81
	• Measures to prevent diversion of electricity, theft or unauthorized use of electricity or tampering, distress or damage to electrical plant, electric lines or meter	82
	• Voluntary declaration of tampered meters	84
	• General	84
CHAPTER 12	MISCELLANEOUS	
	• Force Majeure and Restrictions on Supply of Power	85
	• Demand Side Management (DSM)	85
	• Service of Notice	85
	• Jurisdiction of Court	86
	• Repeal	86
	• Power to Remove Difficulties	86
	• Savings	86
ANNEXURE 1	APPLICATION FOR SUPPLY OF ELECTRICITY (LOW TENSION SUPPLY)	88
ANNEXURE 2	APPLICATION FOR SUPPLY OF ELECTRICITY AT HIGH TENSION	91
ANNEXURE 3	TEST REPORT (To be filled up by Licensed Electrical Contractor) ..	95
ANNEXURE 4	DETERMINATION OF CONNECTED LOAD	99
ANNEXURE 4A	SELF DECLARATION OF CONNECTED LOAD	101

treated as a contravention of the terms and conditions of supply agreement and the supply shall be liable to be disconnected after due notice. The consumer shall however be liable to pay the charges, as applicable.

- 5.7 The licensee is responsible for maintaining the meters and equipments, installed at consumer's premises from where electricity is supplied to the consumer.

Failure of Fuse / Supply:

- 5.8 In the event of failure of the licensee's service fuse, at any time, complaint thereof should be lodged by the consumer to the licensee's local office/call center and the Licensee shall ensure registration of complaints on round the clock basis. Only authorized employees possessing the photo-identity card of the licensee shall be permitted to replace these fuses in the licensee's cut-outs. Consumers are not allowed to replace these fuses. The licensee should not allow its employees to carry out any repairs in the consumer's installations.

CHAPTER 6

WIRING AND APPARATUS IN CONSUMER PREMISES

Wiring at Consumer's Premises

- 6.1 The work of wiring in the consumer's premises shall be carried out by a Licensed Electrical Contractor and should conform to the Indian Electricity Rules, 1956 until rules/regulation are framed under section 53 of the Act as well as the rules of the Fire Insurance Company in terms of which the building is insured. The materials used for wiring shall conform to the relevant specifications of the Bureau of Indian Standards or its equivalent. Wherever applicable the materials used shall bear ISI or IEC mark. As soon as the consumer's installation is completed in all respects and tested by the consumer's contractor, the consumer should submit, the contractor's test report to the licensee. The test report form (Annexure-3) for this purpose shall be submitted to the local office of the licensee.
- 6.2 As required by rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956, no electrical installation work, including addition, alteration, repair and adjustment to existing installation - except the replacement of lamps, fans, fuses, switches and other component parts of the installations - which in no way alter the capacity or character of the installation, shall be carried out in the premises on behalf of any consumer or owner for the purpose of supply of energy to such consumer or owner, except by an electrical contractor licensed by the State Government in this behalf and under the direct supervision of a person holding a certificate of competency or by a person holding a permit issued or recognized by the State Government.

Inspection and Testing of Consumer's Installation

- 6.24 Before any wiring or apparatus in the case of low-tension consumer, and any transformer, switchgear or other electrical equipment in the case of high-tension consumer is connected to the system, it shall be subject to inspection and approval of the licensee and no connection shall be made without the licensee's approval. In addition, all high-tension installations will have to be approved by the Electrical Inspector and all electrical installations in mines will have to be approved by the Inspector of Mines.
- 6.25 Upon receipt of the test report, the licensee will notify to the consumer the time and day when the licensee proposes to inspect and test the installation. **The consumer shall ensure that the Licensed Electrical Contractor or his representative, technically qualified, employed by him is present at the time of inspection to furnish to the licensee any information concerning the installation required by him.** The licensee shall provide a copy of the inspection report to the consumer and obtain the acknowledgement of the consumer.
- 6.26 Manufacturer's test certificate in respect of all H.T. apparatus shall be produced, if required, by the Licensee.
- 6.27 The licensee shall not connect the conductors and fittings at the consumer's premises with its works unless it is reasonably satisfied that the connection will not at the time of making connection cause a leakage from the installation or apparatus of a magnitude detrimental to safety. The value of the insulation resistance should be as provided in Rule 48 of I.E. Rules 1956.
- 6.28 If the consumer's installation is found to be not safe for connection, the licensee shall advise the consumer in writing specifying the defects to be rectified. On receipt of intimation of rectification of defects, the licensee shall retest the installation.
- 6.29 The licensee shall levy no charge for the first test. Subsequent tests, necessitated due to faults found at the initial test shall be charged for in accordance with the rates approved by the Commission. The licensee will not accept any responsibility with regard to the maintenance or testing of wiring on the consumer's premises.

Extensions and Alterations:

- 6.30 No electrical installation work, including additions, alterations, repairs and adjustments to existing installations, except such replacement of lamps, fans, fuses, switches, low voltage domestic appliances and fittings as in no way alters its capacity or character, shall be carried out upon the premises of or on behalf of any consumer, for the purpose of supply to such consumer except by an electrical

Annexure – 3

(See Clause 6.1)

Test Report

To be filled up by licensed Electrical Contractor

Book No. _____

Form No. _____

To be filled up by the licensee

This is being issued for providing electrical connection at the premises of Mr./Mrs./Ms.

_____. The address of the premises is _____.

The name and address of the licensed electrical contractor is _____.

The date of issue of this report is _____.

To be filled up by the licensed electrical contractor

5. I hereby declare that –

(a) I have _____ class license valid till _____.

The license number is _____.

(b) I have completed this work for Mr./Mrs./Ms. _____

_____ for his _____

Details of Job

Sl No.	Item	220 / 230 Volts						440 / 400 Volts	
		Red Phase		Green Phase		Blue Phase		No	Total Watts
		No.	Total Watts	No.	Total Watts	No.	Total Watts		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

(c)

(i) The particulars of the employees who executed the job are tabulated below.

Sl No.	Name of the Wireman / Trainee	Designation	Period	
			From	To

(ii) The work was carried out under the supervision of _____ (Supervisor Wireman) whose certificate number is _____. He is responsible for work carried out during the period _____.

(d) This installation specifications adhere to all the provisions of Indian Electricity Rules 1956.

6. I also declare / certify the following :

- (a) The installed switches are of correct ratings: Yes / No
- (b) All the switches and wiring are permanent and of correct specifications
Yes / No
- (c) All plugs are of three pin type and controlled by separate switches
Yes / No
- (d) All the Single Pole switches connected to the phase Yes / No
- (e) Required permanent mark is provided on the main switch board for Neutral point
Yes / No
- (f) Arrangement for earthing is according to Rule 61 of Indian Electricity Rules, 1956
Yes / No
- (g) In case of three phase installation
 - (i) Danger board, fire extinguisher with buckets, shock chart and first aid kit have been provided for Yes / No

- (ii) The installation specifications of the switch board is as per Rule 15 of Indian Electricity Rules, 1956 Yes/ No

7 Test results

Date of testing _____

	Insulation to Earth	Insulation between conductors
Phase 1		
Phase 2		
Phase 3		

Earth Resistance	Date of testing
Electrode No. 1	Electrode No 2

- 8 The date of registration according to form 'L' of Bihar Govt. Licensing Board (Electricity) is as follows:

SI No. _____

Date _____

Signature of the Licensed Electrical Contractor

Certificate from Supervisor wireman

It is hereby certified that the aforesaid work has been undertaken by _____
_____ who has a wireman permit number of _____
_____ that is valid till _____.

It is also certified that testing of the installation has been undertaken by _____
_____ who has a permit number of _____
_____ that is valid till _____.

Signature of the wireman

Signature of *Supervisor*, wireman

Receipt

The test report form number _____ for the installation at the premises
of _____ prepared by _____
has been received on _____.

Signature of Officer in-charge

Name

Designation

Date

ऊर्जा विभाग

ENERGY DEPT., GOVT. OF BIHAR

Designed and Developed by
NIC Bihar State Centre, Govt. of India

Energy Dept., 8 Daroga Rai Path, Patna - 800 001.

Forms | Search Contacts | Tenders | BREDA Tenders | Useful Links ::

Site Index

- ✓ Home Page
- ✓ Overview
- ✓ Energy Sector
- ✓ Expenditures
- ✓ Acts and Rules
- ✓ Notice Board
- ▼ Documents
 - Allotments
 - Circulars
 - **Notifications**
 - Proceedings
 - Sanction Orders
 - Transfer Orders
- ✓ Best Practices NEW
- ✓ Scheme Info
- ✓ News Clippings
- ✓ Phone Directory
- ✓ Contact Details
- ✓ Your Feedback
- ✓ Asset Declaration

Total Hits: 240496



Bijendra Pd Yadav
Hon'ble Minister

Key Contacts

- Bijendra Prasad Yadav, Hon'ble Minister.
Tel: (0612)-2506224. Fax: (0612)-2506223.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Principal Secretary.
Tel: (0612)-2506210. Fax: 2506189. E-Mail: energy@bihar.gov.in
- Sri Vinodanand Jha, Deputy Secretary. Tel: (0612)-2506158.
- Sri Pratyaya Amrit, IAS, Chairman-cum-Managing Director,
Bihar State Power Holding Company Ltd.
Tel: (0612)-2504036. Fax: 2504968. E-Mail: chairmanbseb@yahoo.co.in
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director,
Bihar State Power Generation Company Ltd.
Tel: (0612)-2504695. E-Mail: md.bspgcl@gmail.com
- Sri Manish Kumar Verma, IAS, Managing Director,
Bihar State Power Transmission Company Ltd. Tel: (0612)-2504442.
Fax: 2504968. E-Mail: md.bsptcl1@gmail.com, itbsptcl@gmail.com
- Sri Sandeep K. R. P., IAS, Managing Director,
South Bihar Power Distribution Company Ltd.
Tel: (0612)-2504045. E-Mail: md.sbpdc@gmail.com
- Sri R. Lakshmanan, IAS, Managing Director,
North Bihar Power Distribution Company Ltd.
Tel: (0612)-2504044. E-Mail: md.nbpdc@gmail.com
- Sri S.K.R. Pudukkatti, IAS, Managing Director,



Latest updates ...

1. **Advt:** Nominations are being invited from eligible candidates for the post of Chairperson, BERC. - 24-08-2015. **NEW**
2. **Order:** Regarding creation of post of Energy Advisor to Chief Minister. - 05.06.

Wednesday 24 February 2016 | 4:12:39 PM

Downloads



[Achievement Report for Financial Year 2011-12](#)

[Agriculture Road Map :: Energy ::](#)

[Renewable Energy Policy, 2011 - In English | Hindi](#)

[Dedicated Feeder \(Agri Road Map\) - English | Hindi](#)

[Application Format: Joining on Contract-basis.](#)

[Application Format: For Solar Pumps.](#)

[Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana](#)





Notifications



हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

Click on the [Description](#) to bring up complete document for viewing or local printing using [Acrobat Reader](#). To render **Hindi** text correctly, you may need to download necessary **Unicode Fonts** font. Use the link given above to install required fonts.

SL	Dated	Description
1.	09-02-2016	अधिसूचना संख्या 02: बिहार राज्य विद्युत जल निगम के निदेशक मंडल में नियुक्त निदेशकों से संबंधित.
2.	08-09-2015	अधिसूचना संख्या 11: बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग लिमिटेड) एवं उसके अनुषंगी कंपनियों में स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में.
3.	04-09-2015	अधिसूचना संख्या 10: श्री शक्ति कुमार नेगी (भा.प्र.से.), को अध्यक्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति के संबंध में.
4.	18-08-2015	अधिसूचना संख्या 08: श्री राजीव अमित, मुख्य अभियंता, (वाणिज्यिक) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सदस्य बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्ति के संबंध में.
5.	17-08-2015	अधिसूचना संख्या 07: बिहार स्टेट पावर होल्टिंग कम्पनी लिमिटेड एवं उसकी चार सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि (निदेशक अंशकालिक) के रूप में पदाधिकारियों को नामित करने के संबंध में.
6.	30-06-2015	अधिसूचना संख्या 06: श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी को पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करने के संबंध में.
7.	20-05-2015	अधिसूचना संख्या 05: जिला स्तरीय विद्युत समिति (District Electricity Committee) के गठन के संबंध में.
8.	08-04-2015	अधिसूचना संख्या 03: श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं. लि. को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार ग्रिड कम्पनी लि. का प्रबंध निदेशक नामित करने के संबंध में.
9.	31-03-2015	अधिसूचना संख्या 02: विद्युत करघा ईकाइयों से संबंधित समिति का गठन.
10.	03-03-2015	अधिसूचना संख्या 01: श्री प्रभात शंकर, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, को निदेशक मंडल में वित्त विभाग, बिहार सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित करने से संबंधित.
11.	25-11-2014	अधिसूचना संख्या 25: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(2) के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारियों को पदाभिहित करने से सम्बंधित.
12.	25-11-2014	अधिसूचना संख्या 24: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारियों को पदाभिहित करने से सम्बंधित.
13.	25-11-2014	अधिसूचना संख्या 23: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अधीन भागलपुर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अधिकारियों को पदाभिहित करने से सम्बंधित.
14.	31-10-2014	अधिसूचना संख्या 22: श्री ईस्माइल अली खान (सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग) के त्यागपत्र से सम्बंधित.
15.	30-09-2014	अधिसूचना संख्या 21: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के भीतर, सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंचाइजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में.
16.	30-09-2014	अधिसूचना संख्या 20: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ गया शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित.
17.	30-09-2014	अधिसूचना संख्या 19: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, गया शहर के वितरण फ्रेंचाइजी क्षेत्र के भीतर सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा फ्रेंचाइजी में विभिन्न वोल्टेज के अधीन सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में.
18.	26-02-2014	अधिसूचना संख्या 09: बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियंता (विद्युत) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं.-04/2011) के आधार पर आयोग के पत्रांक-167, दिनांक-23.09.13 द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता (विद्युत) के पद पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में.
19.	31-01-2014	अधिसूचना संख्या 04: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, मुजफ्फरपुर शहर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र में सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा सभी विद्युत भार के लिए, करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में.
20.	31-01-2014	अधिसूचना संख्या 03: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135(1) में विनिर्दिष्ट अपराध के निवारण के लिए अधिनियम की धारा 135(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, मुजफ्फरपुर शहर के फ्रेंचाइजी क्षेत्र में सभी कोटि के उपभोक्ताओं तथा सभी विद्युत भार के लिए करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी पदाभिहित करने के सम्बन्ध में.
21.	31-01-2014	अधिसूचना संख्या 02: विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रयोजनार्थ मुजफ्फरपुर शहर क्षेत्र के फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए अभिनिर्धारण पदाभिहित करने से सम्बंधित.
22.	23-10-2013	जापांक-5017: विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड का कम्पनी एक्ट, 1956 के अनुसार पुनर्गठित पांच कम्पनियों के अंशधारकों को नामित करने के सम्बन्ध में.
23.	03-10-2013	अधिसूचना संख्या 27: सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-12/प० (मु०को०) 4023/11-सा०प्र०-15183 दिनांक-18.09.2013 द्वारा BAS के पदाधिकारियों का पदस्थापन.
24.	10-08-2013	अधिसूचना संख्या 24: श्री प्रकाश कुमार सिंह, मुख्य विद्युत् अभियंता के सचिव (प्रावै.), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश तक अतिरिक्त प्रभार देने के सम्बन्ध में.
25.	31-07-2013	अधिसूचना संख्या 23: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की पांच उत्तराधिकारी कंपनियों के निदेशक मंडल की संरचना की स्वकृति के संबंध में.
26.	08-07-2013	अधिसूचना संख्या 276: लाईसेंसिंग बोर्ड के गठन के संबंध में.

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०- 276/सं० कौ०

दिनांक- 08.7.13

भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 45 के अंतर्गत विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस देने/विद्युत पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र और तारकर्मियों/वायरमैन को परमिट मंजूर करने हेतु लाईसेंसिंग बोर्ड के गठन की विभागीय अधिसूचना सं०- 17 दिनांक- 19.09.1998 एवं अधिसूचना सं०- 05 दिनांक- 12.03.2004 को वर्तमान समय में निरस्त किया जाता है एवं विद्युत अधिनियम 2003 के धारा 177 के उपधारा (2 बी0) तहत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम 2010 (विद्युत सुरक्षा एवं आपूर्ति संबंधी उपाय) के विनियम 29 के आलोक में लाईसेंसिंग बोर्ड का गठन किया जाता है।

नवगठित लाईसेंसिंग बोर्ड में निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे -

1.	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	संबंधित distribution company के कार्यपालक अभियंता	-	सदस्य
3.	मुख्य विद्युत अभियंता द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता/सहायक विद्युत अभियंता	-	सदस्य
4.	जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत उप-समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी	-	सचिव सह सदस्य

2. उपस्थित चार सदस्यों में से एक सदस्य किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में स्नातक अवश्य हो।

3. पूर्ण बोर्ड कोरम 3 (तीन) सदस्यों का माना जायेगा।

4. बोर्ड के कृत्य :- बोर्ड के निम्न कृत्य होंगे :-

(i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस देना।

(ii) विद्युत पर्यवेक्षक और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के लिए परीक्षाओं का संचालन करना।

(iii) विद्युत पर्यवेक्षक को क्षमता प्रमाण पत्र और तारमिस्त्रीयों को वायरमैन का परमिट मंजूर करना।

(iv) इन शर्तों के अधीन दिये गये क्षमता प्रमाण पत्र, परमिट या लाईसेंस प्राप्त करने वाले विद्युत पर्यवेक्षक, तारमिस्त्री (वायरमैन) या ठीकेदार को शर्तों के उल्लंघन अथवा कदाचार के आरोपों की जाँच कर दोषी पाये जाने पर यथावत कार्रवाई कर उन्हें दिये गये क्षमता प्रमाण-पत्र, परमिट या लाईसेंस को रद्द करना ।

5. बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेश, नियमों विनियमों के अनुसार जिलान्तर्गत किसी भी केन्द्र में परीक्षा और जाँच लेने के प्रयोजनार्थ परीक्षकों को मनोनीत करना तथा इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वित करना, विद्युत ठीकेदारों के लाईसेंस स्वीकृति, नवीकरण की प्रक्रियाओं का नीति निर्धारण करना ।

6. बोर्ड की बैठक :- बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होना आवश्यक होगा ।

7. बैठक का समापति :- अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक का समापति होगा ।

8. अध्यक्ष का कर्तव्य :- अध्यक्ष के निम्न कर्तव्य होंगे :-

(i) बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना जब तक की युक्तिसंगत परिस्थितियों एवं कारणों के आधार पर ऐसा करने से रोक न जाय ।

(ii) बोर्ड की ओर से बोर्ड द्वारा जारी किए गए अथवा बैठक में निर्णय के आधार पर विद्युत ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षक तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) को प्रमाण पत्र और परमिट मंजूर करना तथा उन्हें निर्गत करने का आदेश देना ।

9. सचिव के कर्तव्य :-

(i) विद्युत ठीकेदार लाईसेंस के सभी आवेदन पत्रों परिनरीक्षण करना और उन्हें अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करना तथा उनके संबंध में पत्राचार करना और अनुमोदनोपरान्त लाईसेंस निर्गत करना ।

(ii) पर्यवेक्षकों और तारकर्मियों (वायरमैन) की परीक्षाओं में प्रवेशनार्थ दिये गये आवेदन पत्रों को परिनरीक्षण करना और उनके संबंध में पत्राचार करना तथा सभी नियमों को अनुपालन कराने में अध्यक्ष की सहायता करना ।

(iii) ठीकेदारों को लाईसेंस और पर्यवेक्षकों तथा तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) के प्रमाण पत्रों और परमितों को नवीकरण करना ।

(iv) बिहार स्टेट (पावर) होल्डिंग कं० लि० सहित सभी संबंधित विद्युत आपूर्ति प्राधिकारों को दिये गये और रद्द किये गये सभी लाईसेंसों के विषय में सूचना निर्गत करना ।

10. परीक्षा (पर्यवेक्षक एवं तारकर्मियों की) :-

(i) परीक्षा सिर्फ मौखिक ली जायेगी । इस परीक्षा में पर्यवेक्षकों को क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारमिस्त्रीयों को वायरमैन परमिट प्रदान किये जायेगे ।

(ii) मौखिक परीक्षा में व्यावहारिक ज्ञान की भी परीक्षा ली जायेगी जिससे उनके विद्युत संबंधी कार्य की कार्य कुशलता एवं क्षमता के ज्ञान की जानकारी हो सके ।

11. बोर्ड के द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षकों के क्षमता प्रमाण पत्र तथा तारमिस्त्रीयों के परमिट हेतु मौखिक परीक्षा के स्थानों और तिथियों की सूचना लाईसेंसिंग बोर्ड के सचिव के द्वारा प्रत्येक उम्मीदवारों को कम से कम 21 दिन पहले पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा ।

12. पर्यवेक्षक के परीक्षा में प्रवेश की शर्तें :-

(i) विद्युत अभियंत्रण के उम्मीदवारों को कार्यानुभव की आवश्यकता नहीं होगी ।

(ii) विद्युत डिप्लोमाधारी को कम से कम दो वर्षों का विद्युत कार्य में कार्यानुभव आवश्यक होगा ।

(iii) दो वर्षीय ईलेक्ट्रिशियन/वायरमैन ट्रेड (ITI) में उत्तीर्ण होने के बाद 4 (चार) वर्षों का विद्युत संयंत्रों का रख-रखाव का अधिष्ठापन में व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।

(iv) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद उन्हें 06 (छः) वर्षों का विद्युत संयंत्रों के रख-रखाव, अधिष्ठापन का ज्ञान होना आवश्यक होगा ।

(v) विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

(क) सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।

(ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति ।

(ग) अनुभव प्रमाण-पत्र ।

(घ) दी गई फीस का प्रमाण-पत्र ।

(ङ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (संगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा ।

(च) आवासीय प्रमाण पत्र ।

13. तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट हेतु मौखिक परीक्षा और व्यावहारिक जांच के लिए साक्षरता :-

(i) तारमिस्त्री हेतु आवेदक को विद्युत संबंधी कार्य का न्यूनतम एक वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक होगा ।

(ii) विहित प्रपत्र में उम्मीदवारों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना होगा :-

- (क) सचरित्रता प्रमाण-पत्र किसी उत्तरदायी व्यक्ति को जो पांच वर्षों से जानता हो ।
- (ख) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति ।
- (ग) अनुभव प्रमाण-पत्र ।
- (घ) दी गई फीस का प्रमाण-पत्र ।
- (ङ) अभिप्रमाणित फोटों की तीन प्रतियां (रंगीन पासपोर्ट/स्टाम्प साईज) संलग्नक के रूप में देना आवश्यक होगा ।
- (च) आवासीय प्रमाण पत्र ।

14. क्षमता प्रमाण पत्र अथवा परमिट हेतु सचिव कोई भी आवेदन पत्र जो विचार में त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरा पाया जायेगा उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिसकी फावती रसीद नामांकन के साथ उम्मीदवारों को प्रेषित किया जायेगा ।

15. उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई फीस किसी भी हालत में लौटायी नहीं जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी ।

16. जो आवेदक किसी अन्य राज्य से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे जारी विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ ₹ 250.00 (दो सौ पचास रुपये) भुगतान कर के पारस्परिक आधार पर इस राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं । उन्हें आवेदन पत्र के साथ संबंध राज्य का पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र भी भेजना होगा ।

17. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र/वायरमैन परमिट खो जाने पर सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष कारणों के साथ शपथ पत्र (एफिडिकिट) करना होगा तभी द्वितीयक बनाया जा सकेगा ।

18. पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और परमिट को वापस लेना तथा निलंबन :-

इस नियमावली के अधीन किया गया हरेक पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र और परमिट बाद उसे धारण करने वाला इस नियमावली के अधीन किसी अनाचार या कदाचार का दोषी पाया जाय तो उतना अवधि के लिए वापस लिया या निलंबन किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड निर्णय करें ।

19. विद्युत ठीकेदारों का लाईसेंस देना :-

(i) विद्युत ठीकेदार को लाईसेंस हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठीकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्रीयों तथा एक प्रमाण पत्रधारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उसे संबंधित जिला के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ-पत्र भरना होगा।

(ii) विद्युत ठीकेदार के आवेदन पत्र पर विचार आवेदन पत्र के प्राप्त के एक माह के भीतर करना होगा और आवेदकों को एक लिखित रूप से कारण देते हुए स्वीकृत अथवा अस्वीकृति की सूचना सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्णय/आदेश के अनुसार देना होगा।

(iii) अस्वीकृत आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा और उसकी फीस नहीं लौटायी जायेगी।

(iv) लगातार तीन वर्षों तक नवीकरण नहीं किए गए लाईसेंस बोर्ड की अनुमति से रद्द कर दिये जा सकेंगे।

(v) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण पत्र की सीमा के अंतर्गत होगा।

(vi) लाईसेंस की द्वितीयक/प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाईसेंस में वर्णित तथ्यों को भरकर शपथ पत्र एवं एफ0आई0आर0 की प्रति सहित आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पश्चात् कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाए जाने पर द्वितीयक प्रति निर्गत किया जा सकेगा।

(vii) विद्युत ठीकेदार का निर्गत लाईसेंस क्षतिग्रस्त (लाईसेंस की जीर्ण-शीर्ण स्थिति, फोटो अस्पष्ट एवं कटा-फटा तथा पानी में भीगने के बाद खराब हो जाने, पठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ पत्र एवं आवश्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जांचोपरान्त लाईसेंस का नया बुक जारी किया जा सकेगा।

उदाहरण- यदि क्षमता प्रमाण पत्र मीडियम वोल्टेज उपकरणों का होगा तो वह ठीकेदार हाई वोल्टेज अथवा एक्सट्रा हाई वोल्टेज का कार्य को हाथ नहीं ले सकेगा।

(viii) ठीकेदार अनुज्ञा-पत्र किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा। व्यक्ति विशेष किसी फर्म या आवेदक के नाम पर अनुज्ञा-पत्र लेते हैं तो उन्हें पासपोर्ट साईज अथवा स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटो विहित प्रपत्र के साथ राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा। इसके साथ उनके पहचान हेतु दो संग्रान्त व्यक्तियों का परिचय भी देना होगा।

(11) आवेदन पत्रों में एक अन्य टेक्टर एवं इंसुलेशन मेगर का रखना एवं सचिव लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. प्रत्येक तीन वर्ष के अंत में लाईसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया की जायेगी उसके एक माह पूर्व आवेदक आवेदन देगा जिसमें पिछले तीन वर्षों में दिए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत होगा। जो ब्यौरा नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके अनुज्ञापत्र का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा।
21. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार जो स्वयं पर्यवेक्षक नहीं हो, एक मात्र अपने नियोजन में कम से कम एक पर्यवेक्षक को नहीं रखे तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और यदि लाईसेंस के इस प्रकार अमान्य हो जाने के एक महीने के भीतर लाईसेंसधारी पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण-पत्रधारी किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करे, तो लाईसेंस स्वतः रद्द हुआ समझा जायेगा और लाईसेंसधारी लाईसेंस की रद्दी के लिए बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा।
22. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार किन्ही अन्य एजेंसियों के अधीन नियोजन स्वीकार कर ले तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और ठीकेदार अपना लाईसेंस बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा।
23. लाईसेंस प्राप्त ठीकेदारों के पर्यवेक्षकों और तारमिस्त्रीयों (वायरमैन) का कदाचार :-
- (i) जहां विद्युत आपूर्ति प्राधिकार या उस व्यक्ति की राय में, जिसके लिए कोई विद्युत संस्थापन कार्य किया गया हो, कोई कार्य भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अनुसार हो तो यह विषय बोर्ड के सचिव के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जायेगा और उसके द्वारा की गयी कार्रवाई की सूचना संबंधित पक्षों को दे दी जायेगी।
- (ii) यदि छानबीन और जांच के बाद विद्युत तारमिस्त्री (वायरमैन) परमिट या विद्युत पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र धारक करने वाला कोई व्यक्ति अथवा कोई लाईसेंस प्राप्त विद्युत ठीकेदार बोर्ड द्वारा असावधानी, अक्षमता या इन शर्तों को भंग करने का दोषी पाया जाय तो लाईसेंसिंग बोर्ड ऐसे परमिट, प्रमाण पत्र या लाईसेंस को निलंबित या रद्द कर सकेगा।
- (iii) ऐसे हर मामले में, जहां कथित अनाचार या इन शर्तों या किसी परमिट, सक्षमता प्रमाण पत्र या लाईसेंस की शर्तों अतिलंघन का रिपोर्ट मिले तो बोर्ड पूरी जांच करेगा और कथित आरोपी को अपना बचाव करने का समुचित अवसर देगा।
24. बोर्ड इन शर्तों के अधीन किसी सक्षमता प्रमाण-पत्र या लाईसेंस की रद्दी या निलंबन सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के द्वारा संसूचित की जायेगी।

25. ऐसे सभी आवेदन - पत्र, जिन्हें पेश करना इन शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, संबंधित जिले के जिलाधिकारी के सचिव के नाम दिये जायेंगे ।

26. फीस :- लाईसेंस प्राप्त पात्रों और परमिटों के लिए जाने तथा उनके मान्यकरण के लिए निम्नांकित फीस भुगतान की जायेगी ।

	ठीकेदार लाईसेंस	पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण-पत्र	तारमिस्त्री परमिट (वायरमैन)
1 प्रारंभिक फीस	₹ 250/-	₹ 100/-	₹ 25/-
2 विहित समय के भीतर मान्यकरण की फीस	₹ 75/-	₹ 25/-	₹ 10/-
3 दूसरी प्रति देना	₹ 250/-	₹ 100/-	₹ 25/-
4 विहित समय के बाद मान्यकरण की फीस	₹ 250/-	₹ 10/- (दंड प्रतिमाह) ₹ 100/- (अधिकतम)	₹ 5/- (दंड प्रतिमाह) ₹ 25/- (अधिकतम)
5 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभिक आधार पर अन्य राज्य के क्षमता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन शुल्क		₹ 50/-	

टिप्पणी :- इस विनियम के अधीन भुगतान सभी फीस जिलाधिकारी के कार्यालय में चेक, बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर द्वारा चुकाये जायेंगे ।

27. परीक्षा के आवेदन पत्र और ठीकेदार लाईसेंस के फार्म संबंधित जिले के सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे ।

31/15
(संदीप चौधरी)


सचिव,

ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

प्रतिलिपि-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) क०लि०, पटना।
2. सभी जिलाधिकारी, बिहार।
3. प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन क०लि०, पटना।
4. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन क०लि०, पटना।
5. मुख्य विद्युत अभियंता/मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

अनुरोध है कि अधिसूचना के आलोक में लाइसेंसिंग बोर्ड के गठन हेतु सदस्य अथवा सचिव-सह-सदस्य को नामित करने की कृपा की जाय।


सरकार के अपर सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।